फर्द अहकाम

अजय कृष्ण बनाम राज० सरकार

132/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
[illegible]/6/2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का पेश किया प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से पेश प्रार्थना पत्र/प्रार्थना को अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नियमानुसार रिकार्ड तहसील से नाम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 132/2024
निर्णय दिनांक :05.06.2024

1. अजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, जाति महाजन, निवासी 49, केशव पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

......अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956,

निर्णय

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4371 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, कुल किता । कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर में से 0. 0900 हैक्टेयर स्थित भूमि को प्रार्थी द्वारा रामनारायण गर्ग पुत्र फूलचन्द अग्रवाल, श्रीमति मुन्नी देवी पत्नी केदार लाल गोयल, मैसर्स केदारलाल कृष्णकुमार गोयल कटला पुरोहित जी, जयपुर प्रो. केदारलाल पुत्र रामेश्वर लाल, राधारमण पुत्र रामनारायण गर्ग, गोपाल लाल गोयल पुत्र केदार लाल गोयल समस्त जाति अग्रवाल, निवासीगण बी–10, 53, तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलोनी, जयपुर से जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 06.07.2002 को क्रय किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खण्ड 1 में वर्णित आराजी को क्रय करने के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 05. 04.2003 तस्दीक किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम अजय कुमार मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी है और विक्रय–पत्र में भी यही दर्ज है, परन्तु नामान्तरकरण में सहवन से गलत अंकित कर दिया गया और उसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया गया, जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है। प्रार्थी द्वारा क्रय की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 312 दिनांक 05.04.2003 को तस्दीक करते समय प्रार्थी का नाम पंजीकृत विक्रय–पत्र एवं प्रार्थी के दस्तावेजात के अनुसार अंकित नहीं किया गया जो कि एक लिपिकीय त्रुटि [illegible] जिससे प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है [illegible] कराना चाहता है। खसरा नम्बर 4371 का सह–काश्तकारों [illegible] आपसी सहमति से विभाजन होने के पश्चात् प्रार्थी का खाता पृथक [illegible] कायम किया गया जिसके पश्चात् खसरा नम्बर 4371 का प्रार्थी के हक में नया खसरा नम्बर 6691/4371 अंकित किया गया है। उपरोक्त त्रुटि लिपिकीय भूल है जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दुरूस्त करवाने में सक्षम है तथा धारा 136 क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 6691/4371 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.0900 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अजय कुमार मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, जाति अग्रवाल, निवासी ए–1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर के स्थान पर अजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, जाति महाजन, निवासी 49, केशव पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर दुरूस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें तथा इसी प्रकार का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 6691/4371 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.0900 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अजय कुमार मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, जाति अग्रवाल, निवासी ए–1, गणपति एन्क्लेव, अजमेर रोड, जयपुर के स्थान पर अजय कृष्ण मोदी पुत्र ओमप्रकाश मोदी, जाति महाजन, निवासी 49, केशव पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन्स, जयपुर दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:38 IST
Reason: SelfAttested